कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर

पत्रांक : एस0एस0ए0 / अशं0अनु0चयन / 5322-33 / 2014–15 दिनांक 30.03.15

विज्ञप्ति / सूचना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर अंशकालिक अनुदेशकों के चयन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 5255 / 79–5–2014–29 / 2009 टी0सी0 शिक्षा अनुभाग–5 दिनांक 25 दिसम्बर 2014 के अनुक्रम में दिनांक 18.03.2015, 19.03.2015 एवं 20.03.2015 को हुई काउन्सलिंग में उपस्थित पात्र / अपात्र अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय के पत्रांक : एस0एस0ए0 / अशं0अनु0चयन / 5277–83 / 2014–15 दिनांक 27.03.2015 को जारी विज्ञप्ति जो दिनांक 28.03.2015 को प्रकाशित हुई थी, जिसका विवरण http://bulandshahar.nic.in पर अपलोड कर दिया गया था जिंसमें तृटिवश शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा विषय के 06 अभ्यर्थी (05 पिछडी जाति, 01 अनुसूचित जाति) एवं उद्यान्न एवं फल सरंक्षण विषय का 01 अभ्यर्थी (पिछडी जाति) मेरिट के क्रम में अपात्र सूची में अंकित हो गये थे। अतः पुनः 07 अभ्यर्थियों की पात्र / अपात्र संशोधित सूची जनपद की बेवसाइट http://bulandshahar.nic.in पर अपलोड कर दी गयी है, एवं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सूचना पट पर भी चस्पा कर दी गयी है। पात्र अभ्यर्थी दिनांक 01.04.2015 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर में समय प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक विद्यालय चयन के लिए विकास खण्ड के विकल्प देने हेतु उपस्थित हों। यदि अभ्यर्थी विकल्प देने हेतु उपस्थित नहीं होता है तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी और शेष आवश्यकता वाले विद्यालयों में उसकी नियुक्ति कर दी जायेगी। अभ्यर्थियों के चयन तक अपात्र सूची में यदि किसी अभ्यर्थी को जिज्ञासा / शिकायत दर्ज करानी है तो दिनांक 01.04.2015 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर कार्यालय समय में दर्ज करा सकता है। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी जायेगी।

नोट : पात्र अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज का एक फोटो भी साथ लायें।

(महेश चन्द)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर

पृ0सं0 : एस0एस0ए0 / अशं0अनु0चयन / 5322-33 / 2014–15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, बुलन्दशहर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कालिज, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद स्तर पर ही सरकारी दरों पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भेजें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर